पत्रांक–01 / गै0प्रा0आ0–01 / 2009 (खण्ड) / .... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांका।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–310 / आ0प्र0, दि0–27.11..2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा दि0–27.10.2015 को कटोरियाँ प्रखंड के अंतर्गत ग्राम–कैथकुरा के पास सड़क दुर्घटना में कुल 08 मृतकों में से एक मृतक मुखिया देवी, पति–स्व0 विशन राय, ग्राम–फुलवरियाँ खुर्द थाना कटोरिया, जिला–बाँका के दो शादी शुदा पुत्रियाँ क्रमशः झालो देवी, पति–अनन्दी राय, ग्राम–केमासार, अंचल–बांका, जिला–बांका एवं रेखा देवी, पति–सिकन्दर राय, ग्राम–मुरलीबरण, अंचल–फुल्लीडुमर, जिला–बांका को अनुग्रह अनुदान की राशि दी जा सकती है कि नहीं इस संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई थी।

इस संबंध में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता की राय विभाग को प्राप्त है, जिसके अनुसार अपने पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही शादी शुदा पुत्रियों को माता–पिता पर आश्रित नहीं माना गया है। परन्तु तलाकशुदा एवं विधवा पुत्री, जो माता–पिता के साथ रह रही हों को अपने माता–पिता का आश्रित माना गया है। इन तथ्यों के आधार पर अनुग्रह अनुदान के भुगतान के मामले में आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श की फोटो प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(अनिरूद्ध कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–......4610...... / आ0प्र0, पटना–15 दि0– 22/12/15

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी (बांका जिला को छोड़कर) / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/15

सरकार के विशेष सचिव।

D:\2015\Ajay Sir\UNNATURAL DISASTER\letter 18-12-15 spe..sec..docx